सत्यमेव जयते

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA,
सीप्ज़- सेज़ प्राधिकरण/ SEEPZ SEZ AUTHORITY,
वणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 096. ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400096
Tel: 022-28294774/28294701, Fax: 022-28291754
E-mail: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in

******

सं.सीप्ज़-सेज़/ईएमएस/आरएलआर/2014-15 /24613 दिनांक 19 दिसंबर, 2019

परिपत्र संख्या 08 दिनांक 19/12/19

विषयः- किराया मॉड्यूल को लागू किए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण ने यूनिटधारकों के लिए किराया मॉड्यूल के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है। उक्त सॉफ्टवेयर प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में किराया बिल देखने के लिए इसलिए उपयोगी होगा ताकि यूनिटों द्वारा समय पर किराया देयों का भुगतान किया जा सके। उक्त सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भुगतान के लिए अगले वित्त वर्ष अर्थात अप्रैल, 2020 से लागू किया जाएगा।

तथापि, फिलहाल इस सॉफ्टवेयर से अक्टूबर, 2019 – मार्च, 2020 की अर्धवार्षिक अवधि के किराया बिलों को देखा जा सकता है तथा इससे बकाया किराया देयों का समय पर भुगतान करके ब्याज संबंधी देयता से बचा जा सकता है।

यूनिटधारकों से अनुरोध है कि वे पंजीकरण तथा किराया संबंधी देयों के भुगतान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाए:-

(i) प्रयोक्ता (User) पंजीकरण (Registration:-

Log on to seepz.gov.in ....> Estate rent payment..........> Unit Tab.........> Registration......> इसमें नीचे लिखे के अनुसार विवरण भरा जाएः-

(1) कंपनी का नाम
(2) प्राधिकृत मोबाइल नं. जिस पर एसएमएस के रूप में किराया बिल प्राप्त होगा
(3) प्राधिकृत ई-मेल आइडी
(4) वैध एलओए – एटेचमेंट के रूप में

(ii) डीडी प्रस्तुत करना / किराया भुगतानः-

Unit use log in.......>Rent payment.......>Add rent payment......>Choose gala......>Enter payment type & DD amount.......>Bank details of DD......>Click on save

आपसे अनुरोध है कि दिनांक 31.12.2019 तक उपर्युक्त के अनुसार विवरण अवश्य भर दें। इस संबंध में, पूछताछ के लिए आइटी अनुभाग से 022-28294721 पर संपर्क किया जा सकता है।

यूनिटधारकों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया जाता है कि ब्याज देयता का परिकलन भुगतान की नियत तारीख के पश्चात तथा सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के खाते में भुगतान की वास्तविक प्राप्ति होने तक ही की जाएगी। अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 की अवधि के डिमांड ड्राफ्ट का सॉफ्टवेयर में विवरण दर्ज किया जाए तथा डिमांड ड्राफ्ट की वास्तविक प्रति सीप्ज़ सेवा केंद्र के भूमि तल पर स्थित संपदा अनुभाग में प्रस्तुत किया जाए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सभी यूनिटधारकों से अनुरोध है कि वे सीप्ज़ वेबसाइट पर उपलब्ध seepz.gov.in में लॉग इन करके उक्त सॉफ्टवेयर का दिनांक 23.12.2019 से उपयोग करें।

(केशव जाधव)
संपदा प्रबंधक/
सहायक विकास आयुक्त,
सीप्ज-सेज़ प्राधिकरण